रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082023-248342
CG-DL-E-25082023-248342

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3646] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 2023/भाद्र 3, 1945
No. 3646] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2023/BHADRA 3, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2023

का.आ. 3806(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 और 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को कास्ट आयरन उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग – (1) नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा- परिभाषित लघु उद्यमों के लिए यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा- परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों के लिए यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – भारतीय मानक ब्यूरो नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
कास्ट आयरन उत्पाद	1726:1991	कास्ट आयरन का मैन होल का ढक्कन और फ्रेम
	1729:2002	कास्ट आयरन/ डक्टाइल आयरन वाले नाले के पाइपों तथा भूमि के ऊपर गैर-दबाब वाले पाइपलान सॉकेट तथा स्पिगोट सीरिज की पाइपलाइनों की फिटिंग
	1879:2010	आघातवर्ध्य मैल्येबल कास्ट आयरन पाइप की फिटिंग
	13349:1992	कास्ट आयरन सिंगल फेस्ड थिम्बल माउंटेड स्लुइस गेट
	210:2009	ग्रे आयरन कास्टिंग
	1537:1976	पानी, गैस और सीवेज के लिए लम्बवत कास्ट आयरन प्रेशर पाइप

नोट: इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/9/2023–एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 24th August, 2023

S.O. 3806(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 and 29 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) This order may be called the Cast Iron Products (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

2. Compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing contained in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically meant for export.

Provided that in relation to small enterprise, as defined in clauses (h) and (m), respectively, of section 2 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of nine months from the date of publication of this notification.

Provided that in relation to micro enterprise, as defined in clauses (h) and (m), respectively, of section 2 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of twelve months from the date of publication of this notification.

3. Certification and enforcement authority.-The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (1) of the Table below.

4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable in accordance with the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	**(2)**	**(3)**
Cast Iron Products	1726:1991	Cast iron man hole covers and frames
	1729:2002	Cast iron/ductile iron drainage pipes and pipe fittings for over ground non-pressure pipeline socket and spigot series
	1879:2010	Malleable cast iron pipe fittings
	13349:1992	Cast iron single faced thimble mounted sluice gates
	210:2009	Grey iron castings
	1537:1976	Vertically cast –iron pressure pipes for water, gas and sewage

Note: For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards shall apply.

[F. No P-29026/9/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.25 21:17:36 +05'30'